न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या–221/2016

राज्य सरकार––––––––––––––––**प्रति**––––––––––––––राजकपूर व अन्य।
मुकदमा अपराध संख्या–142/2016
धारा–498ए, 304बी आई0पी0सी0,
एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना–को0 टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर।

12.11.2024

(1). पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन कागज सं024ब पर प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस विगत नियत तिथि पर सुनी जा चुकी है।

(2). उक्त प्रार्थना पत्र 24ब अभियुक्त राजकपूर की ओर से पेश कर यह अभिकथन करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपर्युक्त में अभियुक्त है। प्रस्तुत मुकदमा की मृतका श्रीमती सुन्दरी प्रार्थी की पत्नी है। घटना के पश्चात् तत्काल प्रार्थी ने अपनी पत्नी सुन्दरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर में दिनांकः 09.06.2016 को शाम 7.30 बजे उसके दवा इलाज हेतु भर्ती कराया था तथा उसका दवा इलाज कराया था। प्रस्तुत मामले के ऋजु न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थी प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर को बतौर बचाव साक्षी प्रस्तुत करना चाहता है। न्यायहित में प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर को साक्ष्य हेतु आहूत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर को साक्ष्य हेतु आहूत करने की कृपा की जाये।

(3). उक्त आवेदन पर अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति पृष्ठांकित करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शव–विच्छेदन आख्या साबित है। अभियुक्त द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मामले को विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

(4). उभय पक्ष के तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांकः 09.06.2016 को शाम 7.20 बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री सुन्दरी देवी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाना अभिवर्णित है। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 24ब प्रस्तुत कर इस आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी को साक्ष्य हेतु आहूत करने का अनुरोध किया गया है कि घटना के पश्चात् अभियुक्त राजकपूर ने अपनी पत्नी सुन्दरी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर में दिनांकः 09.06.2016 को शाम 7.30 बजे उपचार हेतु भर्ती कराया उसका उपचार कराया था। हस्तगत दाण्डिक प्रकरण की पत्रावली प्रतिरक्षा साक्ष्य के प्रकृम पर

है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–233 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिरक्षा पक्ष को अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त बंसत लाल ने धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित कथनों में अभियुक्त राजकपूर की पत्नी को मृत्यु से पूर्व टाण्डा स्थित अस्पताल में ले जाने एवं वहां से अकबरपुर लेकर जाना कहा है। प्रतिरक्षा पक्ष ने उक्त आवेदन 24ब के साथ संलग्न 25ब में वर्णित चिकित्सीय प्रपत्र 26ब दिनांकित 09.06.2016 प्रस्तुत किया है जिसमें मृतका सुन्दरी का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना अभिवर्णित है। यदि प्रतिरक्षा पक्ष को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी को बतौर प्रतिरक्षा साक्षी परीक्षित कराने की अनुमति नहीं दी गयी तो प्रतिरक्षा पक्ष सदैव के लिए नैसर्गिक गुण–दोष पर आधारित निर्णय्न से वंचित हो सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से पृष्ठांकित आपत्ति औपचारिक प्रकृति की है। प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से पेश आवेदन 24ब धारा–233 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के आलोक में स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन 24ब स्वीकार किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी को मृतका सुन्दरी पत्नी राजकपूर निवासी ग्राम–मुबारकपुर, थाना–टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर के दिनांकः 09.06.2016 को किये गये उपचार व चिकित्सीय परीक्षण से संबंधित अभिलेख सहित बतौर प्रतिरक्षा साक्षी जरिये सम्मन तलब किया जाये। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त बसंत लाल पुत्र भिखारी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु आख्या/मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0 32ब न्यायालय साक्षी दिनेश चन्द्र मौर्य, उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर द्वारा प्रदर्श ख–2 के रूप में साबित किया जा चुका है जिसकी सम्पुष्टि न्यायालय साक्षी सं02–मो0 नसीम, सभासद, वार्ड सं06, मोहल्ला–मुबारकपुर, थाना–कोतवाली टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श ख–3 के माध्यम से की जा चुकी है। अतः अभियुक्त बसंत लाल के विरूद्ध हस्तगत दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। शेष अभियुक्तगण राजकपूर व लल्ली देवी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही यथावत् संचालित रहेगी।

पत्रावली वास्ते प्रतिरक्षा साक्ष्य दिनांकः 15–11–2024 को पेश हो।

दिनांकः 12.11.2024

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480